न्यायालयः जिला न्यायाधीश, झुंझुनूं (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – **सुनील कुमार पंचोली**

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सिविल विविध (उत्तराधिकार) प्रार्थना पत्र सं. 16/2025(CIS NO. 16/2025)

1. ओमप्रकाश पुत्र नारायण राम निवासी छतरी की ढाणी वार्ड नंबर 17, डूण्डलोद तहसील-नवलगढ़ जिला-झुंझुनूं(राज०)
2. कमला पुत्री नारायण राम पत्नी जगदीश प्रसाद निवासी छतरी की ढाणी डूण्डलोद,तहसील-नवलगढ़ जिला-झुंझुनूं हाल आबाद बाघसरा पूर्वी,शोभासर जिला-चूरू(राज०) **.....प्रार्थीगण**

ब ना म

1. पोस्ट मास्टर मुख्य डाकघर डूण्डलोद तहसील नवलगढ़ जिला-झुंझुनूं (राज०)
2. डाक अधीक्षक, जिला पोस्ट ऑफिस मुख्य डाकघर, झुंझुनूं (राज०)
3. मुख्य पोस्ट मोस्टर जनरल, मुख्य डाकघर, एम.आई. रोड़, जयपुर(राज०)
4. हर आम व खास **.....विपक्षीगण**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम,1925
बाबत प्राप्त करने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र

उपस्थितः-

1. श्री किशोर जांगिड़, विद्वान अधिवक्ता, वास्तेः प्रार्थीगण
2. श्री इन्दू भूषण शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, वास्ते विपक्षी संख्या-1 से 3

<u>आ दे श</u> **दिनांक:09.07.2026**

1. प्रार्थीगण द्वारा धारा–372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत यह प्रार्थना पत्र दिनांक 10.03.2025 को प्रस्तुत कर अभिकथित किया है कि प्रार्थीगण का भाई बनवारीलाल पुत्र नारायणराम निवासी छतरी की ढाणी, डूण्डलोद का स्वर्गवास दिनांक 17.01.2025 को ग्राम डूण्डलोद में हो गया। स्व. बनवारीलाल ने अपने जीवनकाल में प्रार्थना पत्र की मद संख्या–2 में वर्णित अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 3 की बचत योजनाओं में पैसा निवेश किया। प्रार्थीगण के भाई बनवारीलाल द्वारा पोस्ट ऑफिस से ली गई उपरोक्त जमा योजनाओं में नॉमिनी मृतक की पत्नी/प्रार्थीगण की भाभी श्रीमती लक्ष्मी देवी का भी स्व. बनवारीलाल के जीवनकाल में ही दिनांक 23.11.2023 को स्वर्गवास हो चुका है। मृतक बनवारीलाल निःसंतान था तथा उसके माता–पिता का उसके जीवनकाल में ही देहांत हो चुका है। स्व. बनवारीलाल का प्रथम वर्ग का कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं है। प्रार्थी संख्या–1 मृतक का भाई तथा प्रार्थीया संख्या–2 मृतक की बहिन हैं, जो द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारी हैं। इनके अलावा स्व. बनवारीलाल के

कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अतः पैरा संख्या–2 में वर्णित बचत योजनाओं की परिपक्व राशि मय ब्याज को प्राप्त करने के प्रार्थीगण अधिकारी हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित बचत योजनाओं में बनवारीलाल द्वारा संचालित खातों में जमा राशि(परिपक्वता राशि) मय ब्याज के प्राप्त करने बाबत प्रार्थीगण के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

2. प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने के बाद विपक्षी संख्या–1 लगायत 3 व आम जनता की सूचनार्थ नोटिस जारी किये गये व इस क्षेत्र में प्रचलित दैनिक समाचार–पत्र 'दैनिक भास्कर' में इश्तिहार प्रकाशित करवाया जाकर नियमानुसार तामील करवाई गई लेकिन आम जनता ओर से किसी ने उपस्थित होकर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

3. अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अभिकथित किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के समक्ष किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। विपक्षीगण न्यायालय द्वारा आदेशित व्यक्ति/उत्तराधिकार प्रमाण पत्र धारी व्यक्ति को आर.डी. का खाता संख्या 020038310124 तथा बचत खाता संख्या 010015298353 में जमा राशि मय परिपक्वता राशि अदा करने हेतु सदैव तैयार व तत्पर है। विपक्षीगण ने मौजूदा प्रकरण में विभागीय नियमानुसार कार्यवाही की है।

3. प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये:–

(1) आया प्रार्थीगण स्व० बनवारीलाल के विधिक वारिसान हैं एवं उक्त मृतक बनवारीलाल द्वारा अपने जीवनकाल में प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–2 में वर्णित बचत योजनाओं में निवेश की गई राशि मय देय परिलाभ प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण अपने पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करवाने के अधिकारी हैं ?

(2) अनुतोष?

4. प्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में ए.डब्ल्यू 01 ओमप्रकाश व ए.डब्ल्यू 02 कमला (प्रार्थीगण) एवं ए.डब्ल्यू.03 सुरेश कुमार को परीक्षित

करवाया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रलेख प्रदर्श–01 से 09 को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया गया।

5. बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं अभिलेख व सम्बद्ध विधि का भी अवलोकन किया गया। विरचित किये गये विवाद्यकों का विनिश्चयन निम्नवत् है:–

विवाद्यक संख्या–01

6. इस विवाद्यक को सिद्ध करने का भार प्रार्थीगण पर है। धारा–372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र में पक्षकारों के अधिकार अंतिम रूप से निर्णीत नहीं होते हैं बल्कि संक्षिप्त जाँच के पश्चात जमाशुदा राशि प्राप्त करने के लिए प्रथमदृष्टया सर्वोत्तम व्यक्ति कौन है, इसका ही निर्धारण करते हुए, उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था है।

7. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में ए.डब्ल्यू.01 ओमप्रकाश एवं ए.डब्ल्यू.02 कमला ने अपने–अपने साक्ष्य शपथ पत्र में आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की ही पुष्टि करते हुए कथन किये हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 पास बुक्स नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम अकाउंट नंबर 020038310124, प्रदर्श–2 पास बुक्स नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम अकाउंट नंबर 010015298353, प्रदर्श–3 असल मृत्यु प्रमाण पत्र बनवारीलाल, प्रदर्श–4 असल आधार कार्ड ओमप्रकाश, प्रदर्श–5 अखबार साया नोटिस, प्रदर्श–6 जमाबंदी सम्वत 2068–2071, प्रदर्श–7 कृषि भूमि के नामांतरण के संबंध में ओमप्रकाश द्वारा प्रस्तुत असल शपथ पत्र, प्रदर्श–8 ए उनकी भाभी लक्ष्मी देवी के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति 8 ए व प्रदर्श–9 बनवारीलाल बनाम मोहन के निर्णय की सत्यप्रति तथा प्रदर्श–1 से 4 फोटो प्रतियां प्रदर्श–1 ए से 4 ए पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

8. गवाह पी.डब्ल्यू.01 ओमप्रकाश ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह मृतक बनवारीलाल का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नहीं है। बनवारीलाल उसका बड़ा भाई था। गवाह ने स्वीकार किया कि उनके माता–पिता की मृत्यु हो चुकी है। गवाह ने स्वीकार किया कि वह बनवारीलाल का सगा भाई है। बनवारीलाल की पत्नी लक्ष्मी देवी की मृत्यु सन 2023 में हो गई। बनवारीलाल व लक्ष्मी देवी के नुत्फे से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। लक्ष्मीदेवी की मृत्यु के तेरह महीने बाद

उसके भाई बनवारीलाल की मृत्यु हो गई। गवाह ने स्वीकार किया कि बनवारीलाल ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद पोस्ट ऑफिस में नॉमिनी बदलने के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। पी.डब्ल्यू.02 कमला ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसके द्वारा पोस्ट ऑफिस के समक्ष जमाशुदा राशि प्राप्त करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। वह पोस्ट ऑफिस में बनवारीलाल की नॉमिनी नहीं रही है। प्रदर्श–6 व प्रदर्श–7 की समस्त कार्यवाही उसके भाई ओमप्रकाश के द्वारा की गई है। उसके भाई बनवारीलाल व उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी के नुत्फे से कोई संतान नहीं थी।

9. ए.डब्ल्यू.03 सुरेश कुमार ने भी प्रार्थीगण की साक्ष्य का समर्थन करते हुए कथन किया है कि स्व. बनवारीलाल का प्रथम वर्ग का कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं है। प्रार्थी संख्या–1 मृतक का भाई व प्रार्थीया संख्या–2 मृतक की बहिन है जो द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारी हैं। इनके अलावा स्व. बनवारीलाल के कोई उत्तराधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित बचत योजनाओं में बनवारीलाल द्वारा संचालित खातों में जमा राशि मय ब्याज के प्राप्त करने बाबत प्रार्थीगण के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जावे। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने जाहिर किया कि बनवारीलाल के पिता का नाम नारायण व माता का नाम मीरा है। नारायण जी की मृत्यु आज से 10–12 वर्ष पूर्व हुई थी। मीरा की मृत्यु आज से करीब 13–14 वर्ष पूर्व हुई थी। नारायण के तीन संतान बनवारी, ओमप्रकाश व कमला है। बनवारीलाल की पत्नी का नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी की मृत्यु आज से ढाई वर्ष पूर्व हुई थी।

10. इस प्रकार पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्व० बनवारीलाल का स्वर्गवास होना व मृतक बनवारीलाल के माता–पिता व पत्नी की भी पूर्व में मृत्यु हो जाना एवं मृतक बनवारीलाल व उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी के कोई संतान नहीं होना तथा प्रार्थीगण का मृतक बनवारीलाल के भाई व बहिन होना प्रकट होता है।

11. जहां तक बनवारीलाल के नाम से प्रार्थना पत्र में वर्णित राशि जमा होने का प्रश्न है, इस संबंध में प्रदर्श–1 व 2 पास बुक्स नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम प्रस्तुत किये गये हैं, जिनके अवलोकन से विपक्षी संख्या–1 के यहां मृतक बनवारीलाल के नाम से संधारित आर.डी. खाता एवं बचत खाता संख्या क्रमशः

020038310124 व 010015298353 में भुगतान योग्य राशि जमा होना पाया जाता है।

12. जहां तक प्रार्थना पत्र में वर्णित राशि को प्राप्त करने का प्रश्न है, न्यायालय के समक्ष ऐसा तथ्य प्रकट नहीं हुआ है कि मृतक बनवारीलाल द्वारा अपनी उक्त राशि बाबत किसी के हक में वसीयत निष्पादित की गई हो। पत्रावली पर आयी साक्ष्य के अनुसार मृतक बनवारीलाल के प्रथम श्रेणी का कोई वारिस मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण जो कि मृतक बनवारीलाल के भाई व बहिन होकर वर्ग द्वितीय में वर्णित वारिसान हैं, के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम वारिस नहीं होना पाया गया है। हर आम व खास की ओर से भी किसी व्यक्ति ने अपनी उपस्थिति नहीं दी है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में किये गये अभिवचनों व साक्ष्य का कोई खण्डन विपक्षीगण नहीं कर पाये हैं। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आर.डी. एवं बचत खातों राशि प्राप्त करने हेतु सर्वोत्तम व्यक्ति होने से उक्त राशि प्राप्ति हेतु प्रार्थीगण ओमप्रकाश एवं कमला को अधिकृत किया जाना न्यायसंगत है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण ही मृतक बनवारीलाल के नाम से प्रार्थना पत्र में वर्णित आर.डी. एवं बचत खातों में जमा राशि के संबंध में समान अनुपात में अर्थात् 1/2–1/2 हिस्सेनुसार उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसी अनुसार यह विवाद्यक प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 अनुतोष:–

13. विवाद्यक संख्या 1 के निर्णयानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आ दे श

14. परिणामतः प्रार्थीगण ओमप्रकाश व कमला की ओर से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम,1925 की धारा–372 के अधीन प्रस्तुत यह आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मृतक बनवारीलाल के नाम से पोस्ट मास्टर मुख्य डाकघर, डूण्डलोद तहसील नवलगढ़ जिला–झुंझुनूं में संधारित आर.डी. खाता नंबर 020038310124 व बचत खाता संख्या–010015298353 की देय राशि मय देय परिलाभ की प्राप्ति बाबत उक्त देय राशि

का विपक्षी संख्या–1 से विवरण ज्ञात कर संपूर्ण देय राशि पर देय न्यायशुल्क दो माह की अवधि में अदा करने पर प्रार्थीगण के पक्ष में समान अनुपात अर्थात् 1/2–1/2 हिस्सेनुसार नियमानुसार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावे। दो माह की अवधि में पालना न करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

15. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम,1925 की धारा–375 के प्रावधानान्तर्गत प्रार्थीगण प्रत्येक इस आशय का परिवचन–पत्र एवं राशि 1,50,000–1,50,000/–रूपये की प्रतिभूति इस न्यायालय की संतुष्टि की प्रस्तुत कर प्रमाणित करवायेंगे कि यदि भविष्य में मृतक बनवारीलाल का उनके अतिरिक्त अन्य कोई उत्तराधिकारी प्रकट होता है तो इस उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र के अधीन प्रदत्त राशि की सीमा तक उसके अधिकार की संतुष्टि उनके द्वारा की जायेगी। इस आशय का परिवचन–पत्र एवं प्रतिभूति प्रस्तुत होने के उपरान्त ही उपर्युक्तानुसार प्रार्थीगण को उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्रदत्त किया जा सकेगा।

(सुनील कुमार पंचोली)
जिला न्यायाधीश, झुंझुनूं

16. आदेश आज दिनांक 09.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

BABU LAL SAINI
Digitally signed by BABU LAL SAINI
Date: 2026.07.10 13:52:49 +0530

(सुनील कुमार पंचोली)
जिला न्यायाधीश, झुंझुनूं